

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938

No. 537]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

सं. 103/2016- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 758(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 123 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 जुलाई, 1984 की अधिसूचना संख्या 204/84-सीमाशुल्क के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उपर्युक्त धारा के प्रयोजन से माल के निम्नलिखित अन्य वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है, नामशः

1. चांदी बुलियन ।
2. सिगरेट ।

[फा. सं. 394/32/2007-सीमाशुल्क (त.रो.)]

ए. सी. मलिक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th July, 2016

No. 103/2016-Customs (N.T.)

G.S.R. 758(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 123 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 204/84 -Customs, dated the 20th July, 1984, the Central Government hereby specifies the following other classes of goods, for the purposes of the said section, namely:-

1. Silver bullion.
2. Cigarettes.

[F. No. 394/32/2007-CUS (AS)]

A. C. MALLICK, Under Secy.